संख्या : 6 / 2016 / बी-1-2035 /दस-2016-एम-39/2016

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 29 अगस्त, 2016

विषय : केन्द्रीय योजनाओं (सी0पी0 / सी0ए0एस0पी0) को पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) के माध्यम से प्रभावी कार्यान्वयन हेतु डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी ग्रुप का गठन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, वित्त, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-डी.आ.सी-13015(460)/एमएफसीजीए / पीएफएमएस / 2016-17/1136-1165 दिनाँक 24 जून, 2016 के अनुसार प्रदेश में पी.एफ.एम.एस. के पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (डी.पी.एम.यू.) का गठन किया गया है । इस हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी ग्रुप का गठन निम्नवत् किया जाता है -

1- जिलाधिकारी	**- अध्यक्ष**
2- मुख्य विकास अधिकारी	**- सदस्य**
3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी	**- सदस्य**
4- बेसिक शिक्षा अधिकारी	**- सदस्य**
5- जिला कार्यक्रम अधिकारी	**- सदस्य**
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी	**- सदस्य**
7- जिला कृषि अधिकारी	**- सदस्य**
8- मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी	**- सदस्य / सचिव**

इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार गठित डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी ग्रुप द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय योजनाओं को पी.एफ.एम.एस. के द्वारा प्रभावी किये जाने हेतु मानिटरिंग की जायेगी एवं योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जायेगा ।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 6/2016/बी-1-2035(1)/दस-2016, तददिनाँक-एम-39/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- श्री अशोक लवासा, सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ।

2- श्री आलोक कुमार वर्मा, कन्ट्रोलर ऑफ एकाउण्ट्स (सी.बी.ई.सी.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ।

3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/बेसिक शिक्षा अधिकारी/ जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला कृषि अधिकारी।

4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- श्रीमती शीतल वर्मा, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं राज्य नोडल अधिकारी, पी.एफ.एम.एस.

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार(बजट)
एवं विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।